संख्या-479/2017/2157/22-2-2016-17(416)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अखलाक पुत्र श्री इश्त्याक निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अखलाक पुत्र श्री इश्त्याक, निवासी-मौहल्ला चौक फरौशान, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। दिनांक 09.08.2000 की रात्रि में बन्दी द्वारा कमेटी के माध्यम से बीसी की प्राप्त धनराशि रूपये 60,000/- को वापस न करने के विवाद में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शुजाउल्लाह उर्फ मिन्टू की हत्या कर दी तथा लाश को दुकान के ऊपर के कमरे में बन्द कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-881/2000, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 201 एवं 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 25.01.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-701/2005 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 02 सहअभियुक्त सजा भुगत कर कारागार से रिहा हुए हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2015 तक 15 वर्ष 04 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कमेटी के माध्यम से बीसी की प्राप्त धनराशि रूपये 60.000/- को वापस न करने के विवाद में शुजाउल्लाह उर्फ मिन्टू की 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 39 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अखलाक पुत्र श्री इश्त्याक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अखलाक (बन्दी संख्या-2037/05) पुत्र श्री इश्त्याक निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-479/2017/2157(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-479/2017/2157/22-2-2016-17(416)/2016**

**दिनांक 29 जून, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अखलाक पुत्र श्री इश्त्याक, निवासी-मौहल्ला चौक फरौशान, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। दिनांक 09.08.2000 की रात्रि में बन्दी द्वारा कमेटी के माध्यम से बीसी की प्राप्त धनराशि रूपये 60,000/- को वापस न करने के विवाद में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शुजाउल्लाह उर्फ मिन्टू की हत्या कर दी तथा लाश को दुकान के उपर के कमरे में बन्द कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-881/2000, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 201 एवं 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 25.01.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-701/2005 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 02 सहअभियुक्त सजा भुगत कर कारागार से रिहा हुए हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2015 तक 15 वर्ष 04 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कमेटी के माध्यम से बीसी की प्राप्त धनराशि रूपये 60.000/- को वापस न करने के विवाद में शुजाउल्लाह उर्फ मिन्टू की 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 39 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अखलाक पुत्र श्री इश्त्याक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in